कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं. 07662-241655 ई-मेल - deanmcrewa@rediffmail.com
वेबसाईट- https://www.ssmcrewa.ac.in

क्रमांक............................/स्था/अराज/एमसी/2025 रीवा, दिनांक..............................

//आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 299, दिनांक 31 मई, 2018 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 7–22/2019/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 30 मई, 2019 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) में रिक्त पदों की पूर्ति के अनुक्रम में कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल (म.प्र.) द्वारा आयोजित **"समूह–4 अंतर्गत सहायक ग्रेड–3, स्टेनोटायपिस्ट, शीघ्रलेखक एवं अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती व सीधी भर्ती–बैकलॉग हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा–2024"** के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, सहरिया एवं भारिया) के अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों की छानबीन/मूल दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत चयन समिति की अनुशंसानुसार प्रावीण्यता सूची के प्रथम स्थान पर रहे निम्नलिखित अभ्यर्थी को "मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर–शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018" के अधीन उनके नाम के समक्ष दर्शित पद पर **वेतनमान 19500–62000 (सातवें वेतनमान का लेवल 04) में न्यूनतम वेतन रूपए 19,500/– प्रतिमाह तथा समय–समय पर शासन द्वारा देय महंगाई एवं अन्य भत्तों** के साथ अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) में पदस्थ किया जाता है:–

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता का नाम	पद का नाम	श्रेणी	चयनित श्रेणी	पत्र व्यवहार का पता
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	श्री जितेन्द्र आदिवासी, पिता श्री बलराम आदिवासी	रिकॉर्ड क्लर्क	अनुसूचित जनजाति	ST_X_Open	मदकपुरा, लुधावली, जिला शिवपुरी (म.प्र.), पिन कोड 473551

नियुक्ति की शर्तें:–

1. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से **15 दिवस** के अन्दर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना/कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव निरस्त माना जावेगा।
2. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति "मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर–शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018" एवं "म.प्र. सिविल सेवा नियमों" के अंतर्गत शासित होगी।
3. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक–एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. चयनित अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः पेज...02

5. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3–13/2019/3/एक, भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा। परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
5. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर **वेतनमान 19500–62000 (सातवें वेतनमान का लेवल 04)** में न्यूनतम वेतन रूपये 19,500/– प्रति माह एवं शासन द्वारा समय–समय पर देय मंहगाई एवं अन्य भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
6. चयनित अभ्यर्थी को उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ रू. 100/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टॉम्प में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है, दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर गलत/त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
7. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में सेवा के अयोग्य पाए जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। इस आशय का सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ.सी. 3–15/2012/1/3, दिनांक 24.12.2012 के अनुसार रू. 100/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टॉम्प में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ चरित्र सत्यापन हेतु अनुप्रमाणन फॉर्म भरकर इस कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
9. यह नियुक्ति स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन होगी। अधिवार्षिकी आयु समाप्ति के पूर्व किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की अग्रिम सूचना देकर या उसकी एवज में एक माह का अग्रिम वेतन देकर सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
10. चयनित अभ्यर्थी की वरिष्ठता इस संस्था द्वारा तैयार वरिष्ठता सूची के क्रमानुसार ही रहेगी।
11. इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात् सेवाएं अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होंगी।
12. सेवा अवधि में नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता की पूर्वानुमति के बिना नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा अथवा किसी पाठ्यक्रम में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।
14. परिवीक्षा अवधि के दौरान अन्यत्र सेवाओं में भर्ती हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
15. किसी भी स्तर पर यदि कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो नियमानुसार सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।

नोटः– प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(डॉ. सुनील अग्रवाल)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमशः पेज...03

पृ.क्र. 14584-93 /स्था/अराज/एम.सी./2024 रीवा, दिनांक 15/5/25

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, 6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, म.प्र. भोपाल।
3. महालेखाकार, ग्वालियर (म.प्र.)।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, 6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन म.प्र. भोपाल।
5. संचालक, स्थापना (अराजपत्रित), लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, आयुष्मान भारत कार्यालय, जय प्रकाश अस्पताल परिसर, म.प्र. भोपाल।
6. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, रीवा संभाग, रीवा।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला रीवा।
8. स्थानीय अनुभाग, लेखा शाखा।
9. संबंधित की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि कर्त्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व रू. 4/-- का ट्रेजरी चालान Head of Medical Education Department: **0210-03-200-0000 (Other Systems)** स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)